जिला परिषद, कार्यालय, भागलपुर

ddccumceozpbhagalpur@gmail.com

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

जिला परिषद, भागलपुर कार्यालय अन्तर्गत सभी डाकबंगलों एवं कार्यालय हेतु विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक/एजेंसी/फर्म निम्नलिखित नियम एवं शर्त के तहत आवेदन कर सकते हैं–

तकनीकी शर्तः–

1. संवेदक/एजेंसी/फर्म को अग्रधन के रूप में 50,000 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर के पदनाम से संलग्न करना होगा।
2. संवेदक/एजेंसी/फर्म को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा। (2017–18, 2018–19, 2019–20)
3. पैन कार्ड छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. संवेदक/एजेंसी/फर्म को GST में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन नवंबर 2020 तक के रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
5. संवेदक/एजेंसी/फर्म को Trade Licence या बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। Trade Licence एक वर्ष तक ही मान्य है।
6. यदि सेवा प्रदाता गैर सरकारी संगठन है तो सोसाइटी निबंधन एक्ट से निबंधित होने संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. संवेदक/एजेंसी/फर्म को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायतशासी एजेंसी के द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो से संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
8. कार्य को Sub Contracting नहीं करने एवं निर्धारित समय के अंदर सभी सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
9. निविदा द्विलिफाफा पद्धति में देना होगा यथा वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा का लिफाफा अलग–अलग शीलबंद किसी एक बड़े लिफाफे में शीलबंद देना होगा। लिफाफा के उपर फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
10. यदि निविदादाता कंपनी/फर्म से निबंधित है तो कंपनी एक्ट में निबंधित होने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा। यदि साझेदारी है तो पार्टनरशिप का डिड देना होगा।
11. संवेदक/आपूर्तिकर्त्ता को 50 लाख रू0 वार्षिक टर्न ओवर का Audit Report (Profit & Loss Account) किसी निबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट से निर्गत संलग्न करना होगा।
12. वारंटी संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
13. निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का कैटलॉग एवं मेक एण्ड मॉडल अंकित करना होगा।

वित्तीय शर्तः–

वित्तीय लिफाफे के अंतर्गत सभी सामग्री का दर प्रति इकाई ब्रांड नेम सहित सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित करना होगा। साथ ही आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री का अधिष्ठापन भी करना होगा। अलग से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

अन्य–

1. प्रत्येक कोटि के लिए निविदाकर्त्ता निविदा में जो दर देंगे वो सभी कर सहित होगा। विपत्र भुगतान से CGST एवं SGST एक–एक प्रतिशत तथा अनुमान्य आयकर अनिवार्य रूप से कटौती की जाएगी।
2. निविदा प्रपत्र में वर्णित विशिष्टता अनुरूप ही सामग्री का आपूर्ति किया जायेगा। विशिष्टता अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर विपत्र से समानुपातिक रूप से राशि की कटौती कर ली जाएगी।
3. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद भागलपुर